संख्या–28/सू0लो0स0/2002–53 सूचना/2002

प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादून:दिनांक:17 अप्रैल, 2003

विषय :पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों के लिये पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा योजना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रसंग पिछले कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है। कतिपय पत्रकार संघों/समाचार पत्रों एवं जीवन बीमा निगम के अधिकारियों से विचार–विमर्श करके सम्यक विचारोपरान्त शासन ने पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों के लिये उक्त योजना को इस रूप में स्वीकार किया है कि 60 वर्षो के उपरान्त सम्बन्धित पत्रकार को रु0 1,000/– (रुपया एक हजार मात्र) प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी और प्राकृतिक मृत्यु की दशा में रु0 50,000/– (रुपया पचास हजार मात्र) व दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर रु0 1,00,000/– (रुपया एक लाख मात्र) की धनराशि देय होगी। योजना की प्रमुख बाते निम्नवत होंगी:–

1. यह योजना पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार सामूहिक बीमा योजना होगी। इसमें व्यक्तिगत पॉलिसी जारी नही की जायेंगी। जीवन बीमा निगम, महानिदेशक, सूचना के नाम एक पालिसी जारी करेगा।
2. योजना स्वैच्छिक होगी।
3. योजना में 25 वर्ष से 55 वर्ष की आयु के पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार शामिल होंगे। इस योजना में वे पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार भी पात्र होंगे, जो प्रदेश के बाहर के समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों और उत्तरांचल में कार्यरत हों, तथा अन्य अर्हतायें भी पूर्ण करते हो।

यह अंशदायी योजना होगी, जिसमें पात्र पत्रकारों से 50 प्रतिशत की धनराशि ली जायेगी और शेष 50 प्रतिशत प्रथम वर्ष में राज्य सरकार की ओर से जमा की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला 50 प्रतिशत अंशदान योजना को प्रारंभ करने हेतु एक ही बार अनुमन्य किया जायेगा। अन्य वर्षो में प्रीमियम दिये जाने हेतु राज्य सरकार का अंश विज्ञापनों आदि की राशि से समिति द्वारा व्यवस्था की जायेगी। अंशदान की धनराशि की गणना औसत के आधार पर निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त की गयी है:–

आयु वर्ग	पत्रकार द्वारा देय वार्षिक किश्त
(क) 25 से 35 वर्ष	रु0 436.00
(ख) 36 से 45 वर्ष	रु0 1072.00
(ग) 46 से 55 वर्ष	रु0 3350.00

उक्त देय प्रीमियम की धनराशि योजना में सम्मिलित होने वाले पत्रकारों की संख्या तथा आयु वर्ग के आधार पर घट–बढ़ सकेगी।

4. योजना से आच्छादित बीमाधारक की प्राकृतिक मृत्यु की दशा में नामांकित व्यक्ति को रु0 50,000/- (रुपया पचास हजार मात्र) तथा दुर्घटना से मृत्यु की दशा में रु0 1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) की धनराशि एक मुश्त देय होगी। जोखिम केवल 60 वर्षों तक ही आच्छादित होगा।

5. पॉलिसी 60 वर्ष की उम्र पर परिपक्व होगी। पालिसी के परिपक्व होने पर अर्थात 61वें वर्ष से बीमाधारक को रु0 1,000/- (रुपया एक हजार मात्र) प्रतिमाह की पेंशन जीवनपर्यन्त देय होगी।

6. पालिसी परिपक्व होने के पश्चात बीमाधारक की मृत्यु होने की दशा में विधवा/विधुर को रु0 1,000/- (रुपया एक हजार मात्र) प्रतिमाह की पेंशन जीवनपर्यन्त देय होगी।

7. पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि के बाद यदि बीमाधारक या उसकी विधवा/विधुर की मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में बीमाधारक की पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि से उसके अथवा उसके विधवा/विधुर द्वारा प्राप्त की गयी पेंशन की अवधि यदि 15 वर्ष से कम रही है, तो अवशेष अवधि की पेंशन उसके उत्तराधिकारी को स्वीकृत होगी।

8. पालिसी के परिपक्व होने के पूर्व बीमाधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में उपरोक्त प्रस्तर 6 व 7 के अन्तर्गत पेंशन भी देय होगी।

9. यदि कोई पत्रकार 5 वर्ष से कम अवधि तक योजना में रहने के बाद देय किश्तों की अदायगी बन्द कर देता है अथवा वह योजना को बीच में ही त्याग देता है तो उस स्थिति में जीवन बीमा निगम कुल जमा की गयी धनराशि व उस अर्जित ब्याज का समर्पित मूल्य नियमानुसार एक मुश्त वापस कर देगा, जिसमें से सम्बन्धित बीमाधारक को समर्पित राशि का 50 प्रतिशत लौटा दिया जायेगा।

10. यदि कोई बीमाधारक 5 वर्ष से अधिक अवधि तक योजना में रहने के बाद इस योजना को स्वेच्छा से छोड देता है तो उसके पास यह विकल्प होगा कि जमा धनराशि का समर्पित मूल्य वापस ले लें अथवा घटी दर से अनुपातिक पेंशन प्राप्त कर लें, परन्तु घटी हुई पेंशन 61वें वर्ष से देय होगी।

11. किसी समाचार पत्र/ऐजेन्सी के बन्द हो जाने की स्थिति में, पत्रकार योजना का सदस्य बना रह सकता है, लेकिन उसे नियुक्ति सम्बन्धी अर्हता तीन वर्ष के अन्दर पुनः प्राप्त कर लेनी अनिवार्य होगी।

12. वर्तमान में जो इच्छुक पत्रकार अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.6.2003 तक निर्धारित प्रपत्र में भरकर उपलब्ध करा देंगे, वे दिनांक 1.4.2003 से इस योजना के तहत आच्छादित माने जाएँगें । जो पत्रकार किसी कारण दिनांक 30.6.2003 तक अपने प्रार्थना पत्र नही दे सकेंगे वे अक्टूबर, 2003 के प्रथम सप्ताह में आवेदन पत्र भरकर उपलब्ध करा सकते हैं । वे इस योजना में दिनांक 1.10.2003 से आच्छादित माने जायेंगे । भविष्य में प्रतिवर्ष दो बार अर्थात अप्रैल एवं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जायेंगे ।

2. उक्त योजना अपनाने के लिये निम्नलिखित पत्रकार पात्र होंगे:-

(1) ऐसे श्रमजीवी पत्रकार जो उत्तरांचल में स्थित समाचार पत्रों/एजेन्सियों में नियमित रूप से कम से कम 5 वर्ष से कार्यरत हों। ऐसे समाचार पत्रों की प्रसार संख्या कम से कम 10,000 हो।

(2) वे श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा से आच्छादित हों तथा पूर्णकालिक सेवा में हो।

(3) इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिये उन पत्रकारों की पी.एफ. की नियमित कटौती हो रही हो।

(4) पेंशन योजना के लिये आयु सीमा 25 से 55 वर्ष के बीच होगी।

(5) यदि कोई पत्रकार 10 वर्ष तक लेगातार उत्तरांचल में पेंशन योजना के अन्तर्गत देय किश्त की अदायगी करने के उपरान्त अन्य प्रदेशों में स्थानांतरित हो जाता है तो वह स्वेच्छा से इस योजना को आगे अंगीकार करते हुये किश्त की अदायगी कर सकता है और इस अवधि में उसे शत-प्रतिशत किश्त अदा करनी होगी। यदि पुनः उत्तरांचल में वापस आ जाता है तो उत्तरांचल में वापस आने की तिथि से पुनः 55 प्रतिशत का अंशदान शासन से प्राप्त कर

(6) इस योजना में ऐसे श्रमजीवी पत्रकार जो प्रदेश के बाहर स्थित पत्रों के लिये कार्य करते हों तथा अन्य अर्हतायें पूरी करते हों और प्रदेश में ही कार्य करते हों, भी पात्र होंगे।

3. इस योजना के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में (प्रति संलग्न) जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे और सम्बन्धित जिलाधिकारी श्रम विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कर लेंगे कि वह सम्बन्धित पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा में आता है। जिलाधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रदान करेंगे। प्रार्थना-पत्र के साथ सम्बन्धित संस्था से जारी नियुक्ति पत्र की सत्य प्रतिलिपि भी प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

4. इस योजना के कार्यान्वयन के लिये श्री राज्यपाल एक पंजीकृत सोसायटी की भी स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। इसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

(1) सूचना सचिव	अध्यक्ष
(2) महानिदेशक, सूचना	वैकल्पिक अध्यक्ष
(3) प्रमुख सचिव वित्त द्वारा नामित एक अधिकारी	सदस्य
(4) अन्य सदस्य सूचना सचिव द्वारा नामित होने पर ।	

उक्त सोसायटी बीमाकर्ताओं के समस्त हितों को ध्यान में रखते हुये, प्रीमियम भुगतान व सभी दावों के निस्तारण व किसी प्रकार के विवाद के लिये उत्तरदायी होगी। योजना की प्रत्येक तीन वर्ष पर समीक्षा की जायेगी।

5. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि बीमाधारक के बीमा सम्बन्धी राज्य सरकार की ओर से जमा की जाने वाली धनराशि इस निमित्त गठित की जा रही सोसायटी से वहन की जायेगी। इस कोष को बढ़ाने के लिये समाचार पत्रों को दिये जा रहे, विज्ञापन बीजकों के भुगतान के समय ऐसे समाचार-पत्रों, जिनकी प्रसार संख्या 25,000 से अधिक होगी, के सजावटी/टेंडर विज्ञापन बीजकों से 5 प्रतिशत की कटौती भी किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आपसे अनुरोध है कि उक्त योजना को कृपया सभी अधिकारियों/पत्रकारों के संज्ञान में लाते हुये कार्यान्वित करें।

6. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

/

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव

संख्या /सू.लो.सं./2002-53 सूचना/2002 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तरांचल, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं, उत्तरांचल।
4. ~~समस्त मण्डलायुक्त~~/जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5. वित्त अनुभाग-3
6. डिविजनल मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम, देहरादून ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव